# न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) शिवगंज जिला सिरोही
**बइजलास पीठासीन अधिकारी डॉ. नरेश सोनी, आर0ए0एस0**

| **प्रार्थी** | | **अप्रार्थीगण** |
|---|---|---|
| अनीश मीणा पुत्र लक्ष्मणसिंहजी जाति मीणा निवासी तोपदडा अजमेर | **बनाम** | 1.मांगीबाई पत्नी गलबाराम जाति मीणा निवासी केसरपुरा<br>2.तहसीलदार शिवगंज<br>3.मांगीबाई के विधिक वारिसान<br>3/1–गलबाराम पुत्र मोतीजी मीणा<br>3/2–राजू पुत्र गलबाराम मीणा<br>3/3–प्रकाश पुत्र गलबाराम मीणा<br>निवासीगण–केसरपुरा तह0 शिवगंज |
| **विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा** | | **विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेशकुमार खण्डेलवाल** |

**राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

**रा0प्रा0 पत्र स0 76/2023**
**दिनांक 08.11.2023**

**–::आदेश::–**

उपरोक्त उनवान प्रकरण में प्रार्थी ने जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री मोहब्बतसिंह देवडा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि मौजा बडगांव तहसील शिवगंज के खसरा नं0 668/5 रकबा 2.2177 हैक्टयर भूमि आई हुई स्थित है। प्रार्थी की उपरोक्त राजस्व आराजी के दक्षिण दिशा में खसरा नं0 668/51 रकबा 3.2375 हेक्टयर भूमि अप्रार्थी सं0 1 मांगीबाई की राजस्व भूमि आई हुई है तथा अप्रार्थी संख्यां 1 की उक्त राजस्व आराजी से लगता हुआ आम रास्ता आया हुआ है। जिसके खसरा नं0 669 है तथा उपरोक्त खसरा नं0 669 में स्थित रास्ते से आने पर आगे प्रार्थी के खेत खसरा नं0 668/5 में जाने हेतु प्रार्थी नियमित तौर से खसरा नं0 668/51 की पूर्वी दिशा की माठ के किनारे से आता जाता रहा है, जो कि उसको प्राप्त सुखाधिकार की श्रेणी में आता है। अप्रार्थी सं0 1 जानबूझ कर प्रार्थी के कृषि कार्य हेतु उपरोक्त खेत में आने जाने से रोकने हेतु अवरोध पैदा कर रही है तथा प्रार्थी को अपने कृषि भूमि के उपयोग उपभोग हेतु आने जाने से रोक रही है। जिससे प्रार्थी का अपनी राजस्व भूमि में जाकर कृषि कार्य करना करना असम्भव हो गया है। अप्रार्थी सं0 1 के खेत तक पंहुच रास्ते खसरा नं0 669 से होकर प्रार्थी के खेत में जाने हेतु नजरी नक्शें में खसरा नं0 668/51 के पूर्वी हिस्से की माठ के किनारे किनारे होकर प्रार्थी की राजस्व भूमि खसरा नं0 668/5 तक जाने हेतु लाल स्याही से 'ए' से 'बी' मार्क अंकित किया है। प्रार्थी के राजस्व भूमि तक जाने हेतु यह सबसे लघुत्तम दूरी का रास्ता है तथा प्रार्थी के खेत तक जाने हेतु अन्य कोई वेकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया जाकर 30 फीट चौडा रास्ता दिलाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 17.08.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को नोटिस जारी किये गये एवं तहसीलदार शिवगंज को मौका जॉच रिपोर्ट हेतु पत्र क्रमाक 593 दिनाक 17.08.2023 को जारी कर मौका जॉच रिपोर्ट चाही गई। तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी सं0 1 की मृत्यु होना बताया गया एवं अप्रार्थी अप्रार्थी सं0 3/1 ता 3/3 की और से उनके अधिवक्ता श्री सुरेश कुमार खण्डेलवाल ने वकालतनामा पेश किया व दिनांक 31.10.2023 को उनके अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया। अप्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार शिवगंज को जारी नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। तहसीलदार शिवगंज द्वारा उनके पत्र क्रमांक 441 दिनांक 17.10.2023 के द्वारा मौका जॉच रिपोर्ट एवं रास्ता हेतु प्रस्तावित नजरी नक्शा पेश किया जिसमें लाल स्याही से प्रस्तावित रास्ता 'ए' से 'बी' अंकित किया है कि रिपोर्ट इस अनुसार प्राप्त हुई कि मौजा बडगांव के खसरा नं0 668/5 रकबा 2.2177 हैक्टयर की भूमि में जाने के लिये प्रस्तावित मार्ग खसरा नं0 668/51 रकबा 3.2375 हेक्टयर भूमि में से दिया जाना बताया है। प्रस्तावित रास्ता 88 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौड़ा है, जिसका क्षेत्रफल 805.2 वर्गमीटर बनता है, प्रस्तावित रास्ता निकटवर्ती सरकारी रास्ता के खसरा नं0 669 से जुडता हुआ है व लघुत्तम दूरी पर है। प्रस्तावित भूमि पडत है एवं उसके रास्ते में किसी प्रकार का संरचनात्मक निर्माण नहीं है। प्रस्तावित रास्ता की भूमि की डीएलसी दर 9,67,950/–रूपये प्रति हैक्टयर है। डीएलसी दर अनुसार रास्ता की मालियत राशि रूपये 77,940/–रूपये बनती हैं जिसकी दुगनी कीमत 1,55,880/–रूपये होती है।

........................ **शेष पेज संख्या दो पर**

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 12:02:30 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

प्रकरण सं0 76 / 2023
अनीश मीणा बनाम मांगीबाई के कायम मुकाम वगैरह
अन्तर्गत धारा 251(ए) आर.टी.एक्ट

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत अप्रार्थीगणों के जवाब को मध्यनजर रखते हुए बहस दिनांक 31.10.2023 को सुनी गई। हमनें पत्रावली का अवलोकन, तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तो हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है एवं तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम दूरी पर है। अतः तहसीलदार शिवगंज द्वारा प्राप्त प्रस्ताव में प्रस्तावित नक्शा अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बडगांव तहसील शिवगंज के खसरा नं0 668 / 5 रकबा 2.2177 हैक्टयर में आने जाने हेतु मौजा बडगांव के खसरा नं0 668 / 51 रकबा 3.2375 हेक्टयर भूमि में से रास्ता दिये जाना उचित है। प्रस्तावित रास्ता 9.15 मीटर चौडा एवं 88 मीटर लंबा है, जिसका कुल क्षैत्रफल 805.2 वर्गमीटर है। प्रस्तावित रास्ता की भूमि की डीएलसी दर 9,67,950 / –रूपये प्रति हैक्टयर है। डीएलसी दर अनुसार रास्ता की मालियत राशि रूपये 77,940 / –रूपये बनती हैं जिसकी दुगनी कीमत 1,55,880 / –(एक लाख पचपन हजार आंठ सौ अस्सी) रूपये बनती है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से तहसीलदार शिवगंज द्वारा संलग्न प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार शिवगंज के जांच रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 के अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि मौजा बडगांव तहसील शिवगंज के खसरा नं0 668 / 5 रकबा 2.2177 हैक्टयर में पंहुचने हेतु मौजा बडगांव के खसरा नं0 668 / 51 रकबा 3.2375 हैक्टयर में से रकबा 805.2 वर्गमीटर रास्ता दिया जाना उचित होने से तहसीलदार शिवगंज को आदेश दिया जाता है कि प्रस्तावित रास्ता 9.15 मीटर चौडा एवं 88 मीटर लम्बाई कुल प्रस्तावित रास्ता 805.2 वर्गमीटर भूमि की राशि 77940 / –रूपये बनती है जिसकी दुगनी राशि 1,55,880 / – (एक लाख पचपन हजार आंठ सौ अस्सी) रूपये का भुगतान प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगणों को जमा कराने या खातेदारान द्वारा राशि नहीं लेने पर उक्त राशि तहसील के राजकोष में जमा कराने के पश्चात ही खातेदारी भूमि में से कम की जाकर रास्ता भूमि को राजस्व रेकर्ड में **किस्म गैर मुमकीन रास्ता सरकारी बिलानाम** खाते में दर्ज की जावे। प्रस्तावित संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर–1 को आदेश का अभिन्न अंग माना जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 08.11.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

( डॉ. नरेश सोनी )
सहायक कलक्टर,
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

दिनांक 08.11.2023

क्रमांक / कोर्ट / 2023 / 756
प्रतिलिपिः–
तहसीलदार शिवगंज को पालनार्थ ।

सहायक कलक्टर,
शिवगंज

सहायक कलक्टर
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2024.01.02 12:02:30 IST
Reason: SelfAttested